Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में आर.ए.एस. परीक्षा–2018 के हाल में हुए साक्षात्कार में अधिक अंक दिलवाकर सलेक्शन करवाने के लिये 20 लाख रुपये का लेनदेन के संबंध में राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल सहित 3 व्यक्ति पकडे**
- **जोधपुर ए.सी.बी. द्वारा की जा रही है गहन पूछताछ**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर शहर इकाई द्वारा बुधवार देर रात पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बाड़मेर पर आकस्मिक चैंकिग करते हुये जोगाराम सारण हाल प्रिंसिपल, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, पनावड़ा, पं.स. बायतु जिला बाड़मेर को दो अन्य व्यक्तियों के साथ 20 लाख रुपये की नगदी के साथ पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर इकाई को जरिये सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति बोलेरो कार से आर.ए.एस. परीक्षा–2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने के परितोष में भारी धनराशि का लेनदेन करने जा रहे हैं।

जिस पर एसीबी जोधपुर शहर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोपाल सिंह लखावत** के नेतृत्व में आसूचना का सत्यापन किया जाकर दिनांक 28–7–2021 को उनकी टीम द्वारा पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बाड़मेर पर आकस्मिक चैंकिग करते हुये 1–जोगाराम पुत्र श्री हनुमानाराम सारण निवासी भूरटिया, पं.स. बाड़मेर, जिला बाडमेर हाल प्रिंसिपल, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, पनावड़ा, पं.स. बायतु जिला बाड़मेर 2–ठाकराराम पुत्र श्री मूलाराम सारण निवासी रामनगर, रिको एरिया बाड़मेर हाल संचालक मदर टेरेसा सीनियर सैकण्डरी स्कूल, रिको बाड़मेर व 3–किशनाराम पुत्र उगमाराम जाट निवासी बासनी तम्बोलिया, जोधपुर को 20 लाख रुपये की नगदी के साथ पकड़ा है। आरोपियों से ए.सी.बी. टीम द्वारा गहन पूछताछ जारी है।

प्रारंभिक पूछताछ में रिश्वत राशि की मांग किशनाराम (दलाल) द्वारा ठाकराराम से उसके निकट परिजन को साक्षात्कार में अधिक अंक देने के लिये, जोगाराम प्रिंसिपल के मार्फत की जा रही थी। जोगाराम राजकीय सेवा में है तथा दोनों अन्य प्राईवेट व्यक्ति हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य या कर्मचारी की कोई भूमिका होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सघन अनुसंधान उपमहानिरीक्षक पुलिस, ए.सी.बी. जोधपुर के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।